(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4884 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.11.2017 पारित द्वारा तहसीलदार, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 5/अ-70/2016-17.

विजय सिंह परिहार आ0 श्री प्रहलाद सिंह
निवासी ग्राम उन्द्राखेड़ी तह0 व जिला
होशंगाबाद

.....आवेदक

विरूद्ध

सुरजीत सिंह आ0 श्री हुजूर सिंह
निवासी ग्राम उन्द्राखेड़ी तह0 व जिला
होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री विक्रम शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम उन्द्राखेड़ी स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.514 हैक्टेयर से आवेदक का कब्जा हटाने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ-70/2016-17 दर्जकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.11.2017 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) दिनांक 13.11.2017 को पारित आदेश विधि एवं तथ्य के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) तहसील न्यायालय को यह देखना था कि प्रकरण में भूमि खसरा नं. 210 एवं 211 में विवाद की स्थिति है जिसका ज्ञान अनावेदक ग्राम पटवारी एवं कोटवार को भी इस आधार पर दिनांक 08.06.2017 को विवाद आपसी में सुलह किये जाने का तय किया गया। उसके बाद दिनांक 23.06.2017 को आवेदक की अनुपस्थिति में से सूचना दिये बगैर ही सीमांकन किया गया है। जबकि राजस्व नक्शा में आज तक बटांकन नहीं हुआ है।

(3) तहसील न्यायालय को यह देखना था कि राजस्व दस्तावेजों के आधार पर भूमि स्वामी खसरा नं. 210 की श्रीमती सरोज है तथा खसरा नं. 211 के भू-स्वामी अनावेदक है तथा आवेदक श्रीमती सरोज की भूमि का सिकमी कास्तकार है इस तरह सिकमी कास्त को प्रकरण में मूल स्वामी के बिना पक्षकार बनाये धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है। उक्त स्थिति में प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन का दोष होने के कारण भी प्रकरण समाप्त किये जाने योग्य है, इसलिए भी पारित आदेश विधि से दूषित आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवेदक के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये बिना ही प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदेश की श्रेणी का न होकर बोलता हुआ आदेश नहीं है। आदेश में आवेदक के कुसंयोजन एवं श्रीमती सरोज के असंयोजन के बावद कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं है, उक्त स्थिति में पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण प्रचलन योग्य न होने के कारण निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) आवेदक अनावेदक की भूमि खसरा क्रमांक 211 से लगकर चतुर्थ सीमा में स्थित किसी भी भूमि का स्वामी नहीं है मगर आवेदक भूमि स्वामी श्रीमती सरोज पत्नी अरूण सिंह परिहार आत्मज श्री प्रहलाद सिंह परिहार खसरा क्रमांक 210, 224, 225, 226/1, 226/2 एवं विश्वास पुत्र अरूण सिंह परिहार खसरा क्रमांक 222, 226/3, 206/3 एवं अरूण परिहार खसरा क्रमांक 206/1, 226/2 एवं घर के अन्य सदस्यों भावना पत्नी गोपाल सिंह परिहार खसरा क्रमांक 240 के स्वामित्व वाली भूमि जो अनावेदक की भूमि 211 से लगकर चतुर्थ सीमा में स्थित सभी उपरोक्त एवं अन्य परिवादी खसरा नं. वाली भूमि पर कास्त करता है।

(2) आवेदक, अनावेदक की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 211 रकबा 1.27 एकड़ मौजा ग्राम उन्दरा खेड़ी भूमि पर भी अतिक्रमण कर अनावेदक को बेकब्जा किये हुए है, जिसकी पूर्ण स्थापना हेतु अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके विरूद्ध भी आवेदक ने अन्य पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

(3) दिनांक 23.06.2017 को न्यायालय जिला होशंगाबाद के आदेश अंतर्गत अनावेदक की भूमि खसरा क्रमांक 211 रकबा 1.27 एकड़ ग्राम मौजा उन्द्राखेड़ी का सीमांकन संबंधित अधिकारियों एवं सदस्यगणों आर.आई. नरेश राजपूत हल्का पटवारी श्रीमती ममता भदौरिया हल्का कोटवारों लिलाधर एवं अशोक और अन्य पड़ोसी कृषकों जगदीश सिंह खसरा क्रमांक 208, 216 इत्यादि एवं प्रसन्न हर्णे (दत्राक्षय मंदिर के दानदाता) खसरा

क्रमांक 209, 220 इत्यादि और अरूण परिहार पति सरोज सिंह और पिता विश्वास सिंह परिहार की उपस्थिति में अनावेदक की भूमि खसरा क्रमांक 211 का सीमांकन कर मौके पर पंचनामा तैयार कर पंचनामे पर इन सभी का हस्ताक्षर करवाया और मौके पर आवेदक विजय सिंह परिहार बल्द प्रहलाद सिंह परिहार का कब्जा होना पाया।

(4) आवेदक द्वारा ग्राम उन्द्राखेड़ी तहसील व जिला होशंगाबाद की भूमि खसरा क्रमांक 211 रकबा 1.27 एकड़ और खसरा क्रमांक 210, 40 डेसीमल के चकबन्दी और राजस्व व नक्शे में विरोधभास होना बताया गया है मगर यह बिल्कुल गलत है इसमें आवेदक द्वारा खसरा क्रमांक 210 व अन्य परिवार की खसरा भूमि को क्रय करने से पहले और आज तक किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, जिसके सत्यापन बावत् दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।

(5) आवेदक की मंशा सिर्फ अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 250 म.प्र. राजस्व संहिता के प्रकरण क्रमांक 05/अ-70/2016-17 को लंबित करना है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि तत्समय की स्थिति अनुसार सीमांकन को देखते हुए तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है, लेकिन सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4900 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 के आधार आवेदक तहसील न्यायालय में पुन: आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। अत: यह प्रकरण औचित्यहीन होने से समाप्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर